

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर
क्रमांक-एफ14()12/आ.प्र.सहा.एवं ना.सु./वर्षा- 2021/2022/1844 दिनांक:- 11/10/2022

।। कार्यालय आदेश।।

श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 8 (24)(आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/11557-563 दिनांक 22.09.2022 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-54/2022-23 के अनुरूप प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में मानसून वर्ष 2022 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त पुल/नहर/बांध की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के नोर्स के अनुसार कार्यकारी विभाग, जल संसाधन विभाग, उदयपुर से मरम्मत एवं पुनःस्थापना के प्राप्त प्रस्तावों जिन्हें आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

क्र. सं	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	नहर/पुलिया/बांध का नाम	कुल स्वीकृत राशि (in Lacs)
1	जल संसाधन	कोटडा	सावरमती बांध के आर.डी. 0-260 मी. के नीचे की ओर रेनकट एवं केच वाटर ड्रेन का मरम्मत कार्य	1.50
2			बायीं मुख्य नहर के बेरल, नहर के आर. डी 135 मी. पर कट एवं कवर तथा आर. डी 215 मी. का मरम्मत कार्य	1.50
3			दाई मुख्य नहर के आर.डी 90 मी. पर मरम्मत कार्य	1.50
4			बाई मुख्य नहर के आर.डी 540 मी. पर मरम्मत कार्य	1.50
5			दाई मुख्य नहर के आर.डी 1760 मी. पर मरम्मत कार्य	1.50
6			जोगीवड बांध के आर.डी 0-550 मी. के निचे की ओर रेनकट एवं केच वाटर ड्रेन का मरम्मत कार्य	1.50
			योग	9.00

- यह स्वीकृति जल संसाधन विभाग, खण्ड उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव जिन्हें आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है के आधार पर जारी की गई है।
- ड्रेन एवं नहर मरम्मत के उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाकर 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्यालय हाजा द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अंकित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए, सम्पादित कराये गये कार्यों के बिल कार्यालय हाजा को दिनांक 30.12.2022 तक भुगतान हेतु प्रेषित करावे क्योंकि उक्त कार्यों से संबंधित सृजित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रप्रेषित नहीं किया जायेगा एवं माह दिसम्बर-2022 के पश्चात् बकाया भुगतान की राशि की जिम्मेदारी कार्यकारी विभाग की होगी।
- उक्त स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पी.डब्ल्यू. एण्ड एफ.आर के अनुरूप सक्षम स्तर से समस्त कार्यों की पृथक-पृथक रूप से जारी कराकर के इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करावे।

5. तत्कालिक रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं को पूर्णता प्रमाणपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर को प्रेषित करने होंगे।
6. उक्त सम्पादित कार्यों के बिलों का सत्यापन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा होना आवश्यक हैं उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
7. कार्यकारी विभाग द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 12199-231 दिनांक 03.10.2008 एवं 9362-63 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा जारी प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें।
8. उक्त कार्यों को सम्पादित करने में व्यय करने हेतु लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013, योजना के दिशा-निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावें।

23

(तारा चंद मीणा)

जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके के पत्रांक एफ8(24)(आ.प्र.एवंसहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/11528-536 दिनांक 22.09.2022 के संदर्भ में बजट आवंटन हेतु प्रेषित है।
2. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहर एवं ग्रामीण उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक गिरवा के 22, गोगुन्दा के 12, सायरा के 3, बड़गांव के 2, खेरवाडा के 5, नयागांव के 6, ऋषभदेव के 4, सलूंवर एवं झल्लारा के 3, सराडा एवं जयसमंद के 4, मावली के 4 एवं भीण्डर के 5 कार्य राशि रुपये 558.00, 425.00, 60.00, 110.00, 65.00, 62.00, 106.50, 90.00, 155.00, 72.00 एवं 35.00 लाख के कार्य (पुलिया मरम्मत के) प्रस्ताव विभागीय प्रारूप में नहीं होने, राशि की गणना नॉर्म्स के अनुसार नहीं होने तथा प्रस्ताव में क्षति की दिनांक को हुई वर्षा एवं किलोमीटर अंकित नहीं किये जाने से अस्वीकृत कर दिये गये हैं, अतः इस सम्बन्ध में अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करावें।
3. अधीशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ब्लॉक बड़गांव के 2 वल्लभगनगर के 1 एवं गोगुन्दा के 2 कार्य क्रमशः राशि रुपये 55.00, 15.00 एवं 7.00 लाख के कार्य नॉर्म्स के अनुसार मांग नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये हैं, अतः इस सम्बन्ध में अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करावें।
4. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला उदयपुर।
5. तहसीलदार समस्त जिला उदयपुर।
6. अधीशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड.....।
7. कार्यालय प्रति।

800

(ओ.पी. बुनकर)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर
क्रमांक-एफ14()12/आ.प्र.सहा.एवं ना.सु./वर्षा- 2021/2022/2043 दिनांक:- 11/11/2022

।। कार्यालय आदेश ।।

श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ 8 (24)(आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/12695-703 दिनांक 07.11.2022 द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या-72/2022-23 के अनुरूप प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में मानसून वर्ष 2022 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के नोर्स के अनुसार कार्यकारी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर से मरम्मत एवं पुनः स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों जिन्हें आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है-

क्र. सं.	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	कुल स्वीकृत राशि (in Lacs)
1	सा.नि.वि.	सायरा	सादडी से बांसवाड़ा वाया लोहारीया, आसपुर, सलूबर, उदयपुर, गोगुन्दा, रणकपुर	11.00 ✓
2			गोगुन्दा-रावलिया कला - रावलिया खुर्द- नान्देशमा - डोल - कमोल - मादडी - देवरथान - पदराड़ा - चित्रावास - कडेज - कोयल बावजी - कुरान खेतरी - बीजापुर से जिला सीमा	10.00 ✓
3			ए/आर पदराड़ा	0.60 ✓
4			ए/आर करदा	4.20 ✓
5			ए/आर सेमड	0.60 ✓
6			ए/आर सिंगाडा	1.20 ✓
7			ए/आर बोखारा	0.60 ✓
8			ए/आर जरगाजी वाया पलासमा	4.50 ✓
9			बरवाडा बासना वाया सदड़ा	3.00 ✓
10			सायरा, गायफल, रोयडा करदा सड़क	9.00 ✓
11			ए/आर सांचली	0.42 ✓
12			ए/आर दियाण	0.60 ✓
13			ए/आर बेगर	1.20 ✓
14			ए/आर गुमान	2.85 ✓
15			एस. एच. 32 से रायफल गोयडा सड़क वाया जेमली	1.95 ✓
16			रावलिया कला से बरवाडा वाया अवनी बागदा हथनीयावल	4.80 ✓
17			ए/आर मंदार	1.26 ✓
18			ए/आर आरो का गुडा	0.78 ✓
19			ए/आर खाखरो का गुडा	1.26 ✓
20			एम डी आर 147 से कुण्डला वास वाया पालन हरका जी	3.45 ✓
21			ए/आर उमरोड़	1.80 ✓
22			ए/आर उपरणा	1.95 ✓
23			ए/आर नाहरो का गुडा	1.68 ✓

क्र. सं.	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	कुल स्वीकृत राशि (in Lacs)
24			ए/आर हायला से एम डी आर 147	4.92 ✓
25			ए/आर बेरी की भागल	0.42 ✓
26			करदा गुंडाली जरगा जी	0.90 ✓
27			ए/आर लाऊ	1.14 ✓
28			पुनावली से टेगडा कुण्डलावास	3.42 ✓
29			एस. एच. 32 से कारती खानेरिया भील बस्ती	1.20 ✓
30			रावलिया खुर्द से करदा	6.00 ✓
31			ए/आर सामल	1.38 ✓
32			बोखारा से अम्बा चोरा	1.278 ✓
33			कमोल से भीलवाड़ा	0.90 ✓
34			बोखारा से बेलु की बावडी	1.392 ✓
35			पदराड़ा से देवरो की भागल	0.72 ✓
36			ब्राह्मणो का कलवाना से ब्राह्मण बस्ती	0.48 ✓
37			पदराड़ा से वातो का गुडा	0.96 ✓
38			पलासमा से कथिया भील बस्ती	1.20 ✓
39			सादडा से भीलवाड़ा	0.90 ✓
40			एल 131-सांचली से देवरो का गुडा	1.02 ✓
41			एल 196 भाटो का सायरा से चावडो का गुडा	1.20 ✓
42			एल 159 घणावल से गुडा	0.90 ✓
43			एल 178 रायफल से कनाला	0.60 ✓
44			एल 146 चित्रावास से पीपल सेरी	1.56 ✓
45			एल 148 कमोल से गोलाई का गुडा	0.66 ✓
46			एल 161 सेमड से वालरा	1.86 ✓
47			एल 166 ढोल से खारी कुई	0.60 ✓
48			एल 185 सादडा से मोगियो का थाना	2.10 ✓
49			एल 143 हथनियावल से बोरगढ भील बस्ती	2.10 ✓
50			एल 151 कमोल से जरगा अम्बा	1.92 ✓
51			एल 154 झालो का कलवाना से ढोलीया तालाब	1.20 ✓
52			सायरा से सिंगाडा सड़क	1.20 ✓
53			काम्बा से भीलवाड़ा	0.66 ✓
54			एस.एच. 32 से मनाजी का गुडा	0.30 ✓
55			कुमारवास से दलपत गुडा	0.30 ✓
56			कडेच से उपली कडेच	0.96 ✓
57			ढीकोडा से कोविया	2.04 ✓
58			निकोर से वाला	1.02 ✓
59			रावछ से गुडा खेता	1.38 ✓
60			कडेच से डिपलवा	1.38 ✓
61			रावछ से सेलसरिया	1.80 ✓
62			पुनावली से मादरेचो का गुडा	0.36 ✓
63			भानुपुरा से सोरणो का गुडा	1.20 ✓
64			जरगा जी सड़क से धामनिया	0.90 ✓
65			सेमड से हांजी गुडा	0.60 ✓
66			घणावल से ओडवाडिया	1.20 ✓

क्र. सं.	विभाग का नाम	ब्लॉक का नाम	क्षतिग्रस्त रोड का नाम	कुल स्वीकृत राशि (In Lacs)
67			बड़गांव से मकवानो का गुडा	0.60 ✓
68			बनास रिवर पुल पलासमा से आमली घाटी घनावल	1.20 ✓
69			डिकोडा से मुडावतों का गुडा	1.50 ✓
70			बघर से टीपरी तलाई भील बस्ती	0.72 ✓
71			सेमड से सांचली	0.90 ✓
72			रावछ से पदराडा अटल सेवा केन्द्र वाया जेठनाडी	1.50 ✓
73			मेनरोड चित्रावास से सरियाफला	1.44 ✓
74			कडेच मेन रोड से नदीफला	1.50 ✓
75			ब्राह्मणों का कलवाना से झालों का कलवाना	1.32 ✓
76			रोयडा से बतर वाया गुमान	1.50 ✓
			योग	139.09

- यह स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव जिन्हें आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है के आधार पर जारी की गई है।
- सड़क मरम्मत के उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाकर 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
- कार्यालय हाजा द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में अंकित राशि से अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए, सम्पादित कराये गये कार्यों के बिल कार्यालय हाजा को दिनांक 31.01.2023 तक भुगतान हेतु प्रेषित करावे क्योंकि उक्त कार्यों से संबंधित सृजित दायित्वों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रेषित नहीं किया जायेगा एवं गाह जनवरी-2023 के पश्चात् बकाया भुगतान की राशि की जिम्मेदारी कार्यकारी विभाग की होगी।
- उक्त स्वीकृत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति पी.डब्ल्यू. एण्ड एफ.आर. के अनुरूप सक्षम स्तर से समस्त कार्यों की पृथक-पृथक रूप से जारी कराकर के इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करावे।
- तात्कालिक रेस्टोरेशन के कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सम्बन्धित कार्यकारी संस्थाओं को पूर्णता प्रमाणपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर को प्रेषित करने होंगे।
- उक्त सम्पादित कार्यों के बिलों का सत्यापन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा होना आवश्यक हैं उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु इस विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- कार्यकारी विभाग द्वारा सम्पादित करवाये जाने वाले मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक 12199-231 दिनांक 03.10.2008 एवं 9362-63 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा जारी प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त कार्यों को सम्पादित करने में व्यय करने हेतु लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम 2013, योजना के दिशा-निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(तारा चंद भीणा)

जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रतिलिपि :-

1. शासन उप सचिव, आपदा प्रबंधक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके के पत्रांक एफ8(24)(आ.प्र.एवंसहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/12695-703 दिनांक 07.11.2022 के संदर्भ में बजट आवंटन हेतु प्रेषित है।

2. अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर शहर/ग्रामीण को प्रेषित है
3. उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. तहसीलदार सायरा जिला उदयपुर।
5. अधीशापी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड कोटड़ा।
6. कार्यालय प्रति।

३११

(ओ.पी. बुनकर)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
एवं प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबंधन,
सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, उदयपुर